बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या 27

पटना
दिनांक 29/5/2001

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना ।

विषय:- मखदुमपुर थाना कांड संख्या-282/2000 धारा 409/120(बी) भा०द०वि० में आरक्षी अधीक्षक, जहानाबाद द्वारा एकतरफा साक्ष्य हीन मानकर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद, मो० हसनैन खाँ के विरूद्ध हरिजन उत्पीड़न मामला में अंकित किये जाने सम्बन्धी आदेश को आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक या सीनियर आई०ए०एस० से जाँच कराकर निरस्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मो० हसनैन खाँ, पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उल्लिखित तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त की जाय या इस मामले की एक उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय ।

इससे स्पष्ट होगा कि अनुमंडल पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं तदनुसार की गई कानूनी कार्रवाई, साक्ष्य सहित सत्य है या साक्ष्यहीन असत्य ।

आरक्षी अधीक्षक, जहानाबाद ने मामला को साक्ष्यहीन करार देकर अनुमंडल पदाधिकारी के विरूद्ध उचित कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत हरिजन उत्पीड़न मामला में कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की है । अनुमंडल पदाधिकारी के पत्र के पत्र पृ०-2 के अंश "क" से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षी अधीक्षक की अनुशंसा कानून विरुद्ध क्यों है ।

पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा

............पृ०/2

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

पत्र संख्या..........................

पटना

दिनांक..............................

है वहाँ कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी का शोषण हुआ है, वहीं अनैतिक कार्य करनेवालों का हौसला बुलंद होता है।

अतः अनुरोध है कि प्रशासनिक हित में इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निर्णय लिये जाने तक आरक्षी अधीक्षक, जहानाबाद की अनुशंसा पर किसी भी कानूनी कार्रवाई पर अविलम्ब रोक लगायी जाय।

संघ इसके लिये आभारी रहेगा।

ह0/-

[गंगाधर लाल दास]
महासचिव।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/आरक्षी महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, गया/आरक्षी उप महानिरीक्षक, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की त्वरित जाँच अपने स्तर से भी करायी जाय एवं आरक्षी अधीक्षक, जहानाबाद की अनुशंसा के आधार पर अंतर कार्रवाई पर रोक लगायी जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघ अपने सदस्यों को यह निदेश देने के लिये बाध्य होगा कि वे उच्चाधिकारी के ऐसे किसी आदेश का अनुपालन नहीं करें जिनसे उन्हीं के विरूद्ध कार्रवाई की संभावना हो।

ह0/-

[गंगाधर लाल दास]
महासचिव।

प्रतिलिपि-मो0 हसनैन खाँ, आप्त सचिव, राज्यमंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

[गंगाधर लाल दास]
महासचिव।